झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान हेतु छात्र संख्या एवं अन्य कागजात के सत्यापन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 57/2017

एतद् द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी.आर.168719 दिनांक 22.08.2017 में दिए गए निदेश के आलोक में स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान हेतु आवेदन दिनांक 05.09.2017 तक Online आमंत्रित किया गया था। परिषद् को यह निदेश दिया गया है कि अनुदान के लिए आवेदित इंटर महाविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पंजीकृत छात्र संख्या, उनकी औसत उपस्थिति एवं 75% छात्रोपस्थिति (औसत गत तीन माह का) के आधार पर ही आवेदन को अग्रसारित कर दिनांक 20.09.2017 तक Online निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

विज्ञप्ति में दिए गए निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान हेतु आवेदित स्थायी प्रस्वीकृत महाविद्यालय के आवेदन को अग्रसारित करने हेतु संलग्न दस्तावेज, साक्ष्य, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की छात्र संख्या, उनकी औसत उपस्थिति एवं 75% छात्रोपस्थिति (औसत गत तीन माह का) के सत्यापन के लिए प्रमण्डलवार कार्यक्रम निम्नप्रकार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	प्रमण्डल का नाम	कागजात सत्यापन की तिथि
01.	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल	दिनांक 16.09.2017
02.	उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू प्रमण्डल	दिनांक 17.09.2017
03.	संथाल परगना प्रमण्डल एवं कोल्हान प्रमण्डल	दिनांक 18.09.2017

उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को सभी कागजातों, उपस्थिति पंजी एवं नामांकन पंजी के साथ इंटर महाविद्यालय परिषद् कार्यालय, राँची में सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उनके अनुदान के लिए आवेदित आवेदन को अग्रसारित योग्य नहीं माना जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त सत्यापन के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

साथ ही महाविद्यालय यह सुनिश्चित हो लेंगे कि उनका आवेदन ऑनलाइन जमा कर दिया गया है, क्योंकि गत वर्ष कुछ महाविद्यालय द्वारा आवेदन सही तरीके से नहीं भरे जाने के कारण परिषद् को अग्रसारित हेतु ऑनलाईन उपलब्ध नहीं हो सका था। ज्ञातब्य कि परिषद् उसी आवेदन को अग्रसारित करने में सक्षम है जिसका आवेदन ऑनलाइन परिषद् के स्तर पर उपलब्ध हो।

विज्ञप्ति संख्या पी.आर. 168719 दिनांक 22.08.2017 में दिए गए निदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (रजनीकान्त वर्मा)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/का.स्था./4052/17/SECY/545/17
Dt. 14.09.2017
D.O.P : 15.09.2017